O/o C. R. Section (RTH)
Dairy No. 12422381/2017
Date 14/8/2017

आवेदकः–
अखिलेश कुमार गुप्ता,
म0 सं0 एस–2/42, कृष्णापुरी,
लाईनपार, जि0 मुरादाबाद (उत्तर
प्रदेश), पिन– 244 001.

पत्रांकः 12/आर0टी0आई0/आर0टी0ओ0/मुरादाबाद/2017 दिनांकः 11.08.2017

प्रतिष्ठा में,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज,
ट्रांसपोर्ट भवन,
1– संसद मार्ग, गोकुल नगर, संसद मार्ग एरिया,
नई दिल्ली– 110 001।

विषयः– सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अर्न्तगत वाहनों के कागजातों को साथ में रखने के सम्बन्ध में सूचना दिलाने हेतु।

RTI

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक को निम्नलिखित सूचना *जनहित में* निर्धारित समयावधि के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें:–

अ– वाहन चलाते समय वाहन के कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बीमे के कागजात आदि मूल रूप में साथ में रखने अनिवार्य होते हैं अथवा उनकी सत्यापित फोटो प्रति साथ में रखी जा सकती हैं।

754

ब– यदि सत्यापित फोटो प्रति साथ में रख सकते हैं, तब वो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हो सकती हैं अथवा नोटरी एडवोकेट द्वारा सत्यापित होनी चाहिए अथवा इन दोनों में से किसी एक से सत्यापित करवा कर रख सकते हैं।

स– यदि वाहन के साथ मूल कागजात रखना ही अनिवार्य है, तब वाहन के साथ कागजातों के चोरी या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में पुलिस विभाग में एफ0आई0आर0 दर्ज कराने और वाहन की कीमत प्राप्ति के लिए दावा करने के लिए कागजातों की फोटो प्रतियाँ आधार बन सकती हैं, अथवा नहीं क्योंकि अधिकांश वाहन स्वामी/चालक कहीं जाते समय वाहनों के कागजात वाहन में ही रखते हैं। वाहन अन्यत्र पार्क करके कागजातों को साथ में रखना संभव नहीं हो पाता है।

उपरोक्त सूचना प्राप्ति हेतु शुल्क के रूप में रु0 10/– भारतीय पोस्टल आर्डर सं0 36एफ 956795 द्वारा अदा कर दिये गये है, जो कि इसके साथ में मूल रूप में संलग्न है।

संलग्नकः एक।

आवेदकः–
[signature]
अखिलेश कुमार गुप्ता

14/8

Scan & send to US(MVL) Mr. Dhandevl
16/8
8/R(V)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दहा रुपये [illegible] [illegible] दश रूप्यकाणि

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO ______________________________ को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

AT THE POST OFFICE AT

Delhi

के डाकघर में अदा करें ।

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे ।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE

[illegible]

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

सत्यमेव जयते

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

36F 956795

पूरी रकम वसूल पायी

RECEIVED the full amount

पानेवाले के हस्ताक्षर **PAYEE'S SIGNATURE**

भारतीय डाकघर नियमावली के नियमों एवं शर्तों के अनुसार जारी

ISSUED SUBJECT TO THE RULES AND CONDITIONS IN THE IPO RULES.

वैधता– जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 24 महिने और द्वितीय कमीशन के भुगतान जारी करने के महीने के अंतिम दिन से 36 महिने।

Validity- 24 months from the last day of the month of issue and 36 months from the last date of the month of issue on payment of second commission.

प्र.मु.है./S.P.P.H.O.